



ADA/504 गैर-भेदभाव की सार्वजनिक सूचना

The Americans With Disabilities Act Of 1990 (1990 के अमेरिकी विकलांगता अधिनियम) और The Rehabilitation Act Of 1973 (1973 के पुनर्वास अधिनियम) की धारा 504 के तहत विकलांगता के आधार पर गैर-भेदभाव की सूचना

The Americans with Disabilities Act of 1990 (1990 के अमेरिकी विकलांग अधिनियम) के शीर्षक II और The Rehabilitation Act (पुनर्वास अधिनियम) की धारा 504 के अनुसार DCYF अपने कार्यक्रमों, सेवाओं या गतिविधियों में योग्य विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

प्रभावी संचार

DCYF, अनुरोध पर, विकलांग योग्य व्यक्तियों के लिए प्रभावी संचार पक्का करने के लिए उचित सहायता और सेवाएं प्रदान करेगा ताकि वे DCYF के कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों में समान रूप से भाग ले सकें। इन सहायता और सेवाओं में योग्य सांकेतिक दुभाषिण, ब्रेल लिपि में तैयार दस्तावेज और बोलने, सुनने या देखने में अक्षम लोगों के लिए सूचना और संचार को सुलभ बनाने के अन्य तरीके शामिल हो सकते हैं।

नीतियों और प्रक्रियाओं में संशोधन

DCYF ये पक्का करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में उचित संशोधन करेगा कि विकलांग लोगों को सभी DCYF कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर मिले। उदाहरण के तौर पर, सेवा पशुओं वाले लोगों का राज्य के कार्यालयों में स्वागत किया जाता है, यहाँ तक कि वहाँ भी जहाँ जानवरों को आम तौर पर प्रतिबंधित किया जाता है।

प्रभावी संचार या नीतियों में कोई संशोधन पक्का करने के लिए सहायता या सेवा का अनुरोध करना

जिस किसी को DCYF कार्यक्रम, सेवा या गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रभावी संचार या नीतियों या प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए सहायता या सेवा की जरूरत है, उसे जल्द से जल्द, अधिमानतः निर्धारित कार्यक्रम से 48 घंटे पहले, नीचे दिए गए स्टाफ के सदस्यों में से एक को सूचित करना चाहिए:

1. एक DCYF कर्मचारी, या
2. DCYF ADA समन्वयक
dcyf.adaaccessibility@dcyf.wa.gov
फ़ोन: (360) 480-7230, रिले यूज़र्स 7-1-1 डायल करें

ADA को DCYF से ऐसी कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है जो उसके कार्यक्रमों या सेवाओं की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दे या अनुचित वित्तीय या प्रशासनिक बोझ डाल दे।



Washington State Department of
CHILDREN, YOUTH & FAMILIES

शिकायतें

विकलांग व्यक्ति को किसी DCYF प्रोग्राम, सेवा या गतिविधि की उपलब्धता न होने की शिकायतें आपके द्वारा दावा की जा रही विकलांगता के कारण भेदभावपूर्ण व्यवहार की घटना होने के एक वर्ष के भीतर DCYF को प्राप्त होनी चाहिए और इसे इसके लिए निर्देशित किया जाना चाहिए:

DCYF ADA Accessibility Program (DCYF ADA उपलब्धता कार्यक्रम)

Department of Children, Youth, and Families (बाल, युवा, व परिवार विभाग)

1500 Jefferson St., SE

Olympia, WA 98501

dcyf.adaaccessibility@dcyf.wa.gov

फ़ोन: (360) 480-7230

Washington रिले: 711 या 1-800-833-6384

Washington राज्य किसी भी सहायता या सेवाओं या नीति अथवा अभ्यास में उचित बदलाव करने की लागत को कवर करने के लिए किसी भी विकलांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्तियों के किसी भी समूह से कोई भुगतान नहीं लेगा।

जबकि DCYF के पास एक आंतरिक ADA शिकायत नीति है, यह नीति विकलांग व्यक्ति को ADA टाइटल II उल्लंघनों के लिए अमेरिकी Department of Justice's Civil Rights Division (न्याय विभाग का नागरिक अधिकार प्रभाग) के नागरिक अधिकार प्रभाग, धारा 504 उल्लंघनों के लिए अमेरिकी U.S. Department of Health and Human Services (स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग), या Washington State's Human Rights Commission (राज्य के मानवाधिकार आयोग) के साथ विकलांगता भेदभाव की शिकायत दर्ज करने की अभी भी इजाजत देती है।

अमेरिकी Department of Justice (न्याय विभाग, DOJ),

नागरिक अधिकार प्रभाग

<https://civilrights.justice.gov>

नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए न्याय विभाग से संपर्क करें:

<https://civilrights.justice.gov/report>

मेल द्वारा ADA शिकायत दर्ज करने के लिए, ADA शिकायत फ़ॉर्म डाउनलोड करें:

www.ada.gov/t2cmpfrm.html

भरा हुआ फ़ॉर्म यहाँ भेजें:

US DOJ – नागरिक अधिकार प्रभाग

950 Pennsylvania Ave, NW

4CON, 9th Floor

Washington, DC 20530

अमेरिकी Department of Health & Human Service

(स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग), नागरिक अधिकार कार्यालय

नागरिक अधिकार शिकायत दर्ज करने के निर्देश:

www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html

ऑनलाइन HHS - OCR शिकायत पोर्टल:

<https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf>

मेल द्वारा The Rehabilitation Act (पुनर्वास अधिनियम)

शिकायत की धारा 504 दर्ज करने के लिए, नागरिक अधिकार भेदभाव फ़ॉर्म डाउनलोड करें:

www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-60-day-frn-cr-crf-complaint-forms-508r-11302022.pdf

पूरा किया हुआ फ़ॉर्म यहाँ भेजें:

केंद्रीकृत केस प्रबंधन संचालन

U.S. HHS – 200 Independence Ave., S.W.

Room 509F HHH Bldg.

Washington DC 20201

Washington State Human Rights Commission

(राज्य मानवाधिकार आयोग, WSHRC)

www.hum.wa.gov

किसी सार्वजनिक आवास से संबंधित विकलांगता भेदभाव शिकायत को मेल द्वारा दर्ज करने के लिए, सार्वजनिक आवास शिकायत फ़ॉर्म डाउनलोड करें:

www.hum.wa.gov/file-complaint

भरा हुआ फ़ॉर्म यहाँ भेजें:

WSHRC – ओलंपिया मुख्यालय

711 S. Capitol Way, Suite 402

PO Box 42490

Olympia, WA 98504

DCYF भेदभाव नहीं करता है और जाति, रंग, लिंग, धर्म, पंथ, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीय मूल, नागरिकता या अप्रवासन की स्थिति, उम्र, यौन अभिरुचि, या लैंगिक पहचान, सैनिक या पूर्वसैनिक होने की स्थिति, स्तनपान कराने वाली माँ होने और किसी भी तरह की शारीरिक, संवेदी, या मानसिक विकलांगता होने या डॉग गाइड अथवा सेवा पशु का उपयोग करने की स्थिति की परवाह किए बिना, सभी व्यक्तियों के लिए अपने कार्यक्रमों और सेवाओं तक समान एक्सेस प्रदान करता है। अगर आप वैकल्पिक फ़ॉर्मेट या भाषा में इस प्रकाशन की निःशुल्क प्रतियाँ चाहते हैं, तो कृपया DCYF Constituent Relations (DCYF कॉन्स्टिट्यूटेंट रिलेशंस) से 1-800-723-4831 पर संपर्क करें या communications@dcyf.wa.gov पर ईमेल करें।